न्यायालय सहायक कलक्टर (FT), मावली जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या : 178/18 (वाद)
GCMS No. : 2018/00041
उनवान

1. शिवचन्द पिता स्व० मोहनलालजी जाति ब्राम्हण आयु 70 वर्ष निवासी जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

............वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

...............प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल, अधिवक्ता वादीगण।
2. श्री राजपेरोकार तहसीलदार मावली, प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक : 27.01.2026

1. वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि गांव जेवाणा पटवार सर्कल जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०) मे स्थित खेवट खतौनी संख्या नई 01 आराजी खसरा न0 4014/1800 रकबा 9 बीघा है उक्त भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे बिलानाम काबिल काश्त राज्य सरकार के नाम से अंकित है । उक्त आराजी न0 4014/1800 रकबा 9 बीघा, किस्म बिलानाम काबिल काश्त के पूर्व में संवत 2032 में आराजी न0 1800/23 रकबा 10 बीघा 16 बिस्वा थे और उक्त भूमि पर मुझ वादी के पिताजी स्व० मोहनलाल पिता अम्बालाल ब्राम्हण का कब्जा आज से करीबन 50 वर्ष पूर्व से था और मेरे स्व० पिताजी और मुझ वादी ने उक्त भूमि जो पूर्व मे गैर काबिल काश्त थी को काश्त योग्य बनाने मे लाखो रूपयो की लागत लगाई वे परिवार सहित श्रम किया था इसी वजह से खसरा परिवर्तित निर्धारण गैर मुस्तकिल काश्त संवत 2032 से 2040 तक मेरे व्यवहारी के पिता के नाम पर एवं संवत 2040 से 2069 तक मेरे व्यवहारी के नाम पर कब्जेधारी के रूप में अंकित होकर मुझ वादी के ही उपयोग उपभोग मे अपने पिताजी के जीवनकाल से ही विगत 50 से अधिक वर्षो से लगातार निरतंर चली आ रही है और कब्जा होने से समय समय पर राज्य सरकार द्वारा पेनल्टी की रसीदे मेरे व्यवहारी के विरुद्ध काटी गयी है।
2. यह कि उक्त कलम संख्या एक मे वर्णित भूमि आराजी न० 4014/1800 रकबा 9 बीघा भूमि पर मुझ वादी का कब्जा विगत 50 से अधिक वर्षो से अपने पिताजी के जीवनकाल से ही लगातार निरंतर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है और मुझ

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं मेरे स्वर्गीय पिता मोहनलालजी ने लाखो रूपयो की लागत लगाकर व परिवार सहित श्रम कर उक्त भूमि को जो पूर्व मे गैर काबिल काश्त थी को काबिल काश्त बनाया इसी वजह से राज्य सरकार द्वारा मौके की स्थिति को देखते हुए संवत 2067 में किस्म परिवर्तन करते हुए आराजी न0 4014/1800 रकबा 9 बीघा भूमि को राजस्व जमाबंदी मे काबिल काश्त बिलानाम अंकित कर दी है जो वर्तमान जमाबंदी से स्पष्ट है। उक्त आराजी न0 4014/1800 रकबा नो बीघा भूमि पर मुझ वादी का कब्जा विगत 50 पचास से अधिक वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है और मुझ वादी ने इसके चारो तरफ थोहर व कांटो की बाड़ लगा रखी है, कृषि औजार व फसल रखने हेतु पक्का निर्माण कार्य करवा रखा है, मवेशीयों को बांधने के लिए पक्की ओड़ बना रखी है जिसमे मेरे मवेशी बंधते है व घास व कृषि उपज पड़ी रहती है व अस्थाई निवास हेतु मकान का भी निर्माण कार्य करवा रखा है।

3. यह कि उक्त आराजी न0 4014/1800 रकबा नो बीघा भूमि पर मुझ वादी का कब्जा विगत 50 से अधिक वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है और मेरे व्यवहारी ने उक्त आराजीयात के चारो तरफ थोहर व कांटो की बाड़ करवा रखी है, मवेशीयों को बांधने हेतु व कृषि उपज व कृषि औजार, घास इत्यादि रखने के लिए पक्का निर्माण कार्य करवा रखा है और कृषि की सुरक्षा हेतु इसी जमीन में निवास हेतु पक्का निर्माण कार्य करवा रखा है जिसमे परिवार सहित निवास करता है इसलिए उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में घोषित करवा स्वतन्त्र रूप से राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करवाने का अधिकारी है ।

4. यह कि मुझ वादी का प्राइमाफैसी कैस है क्योंकि उक्त वर्णित भूमि पर मुझ वादी का कब्जा अपने पिताजी के जीवनकाल से ही विगत 50 से अधिक वर्षों से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के चला आ रहा है, सुविधा संतुलन भी मुझ वादी के पक्ष में हे क्योंकि मुझ वादी ने उक्त भूमि को काबिल काश्त बनाने में लाखो रूपयो की लागत लगाई व परिवार सहित श्रम किया है, इसके चारो तरफ थोहर व कांटो की बाड़ लगा रखी है, कृषि औजार व फसल रखने हेतु पक्का निर्माण कार्य करवा रखा है, मवेशीयों को बांधने के लिए पक्की ओड़ बना रखी है जिसमे मेरे मवेशी बंधते है व घास व कृषि उपज पड़ी रहती है व अस्थाई निवास हेतु मकान का भी निर्माण कार्य करवा रखा है परन्तु उक्त भूमि को खातेदार काश्तकार के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chand Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:26 IST
Reason: SelfAttested

रिकार्ड में अंकित नही होने से जो क्षति मुझे हो रही है उसका मूल्याकंन रूपयो पैसो में किया जाना असंभव है ।

5. यह कि मेरे व्यवहारी ने उक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे अपने नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप मे अंकन करवाने हेतु संबंधित पटवारी व राजस्व अधिकारियो के यहां पर दस्तावेज पेश किये परन्तु पटवारी हल्का जेवाणा ने मना कर दिया और मेरे व्यवहारी को ऐसा प्रतित होता है कि राजस्व अधिकारी मिली भगत कर उक्त भूमि का किस्म परिवर्तन कर किसी अन्य को आंवटित करने पर आमादा है जबकि मेरे व्यवहारी का उक्त भूमि पर विगत 50 से अधिक वर्षो से लगातार निरतंर बिना किसी बाधा के अपने पिताजी के जीवनकाल से चला आ रहा है इसलिए अपने नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप में अंकन करवाने का अधिकारी है । राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा भी समय समय पर कब्जेधारियों को उनके कब्जे की भूमि को उनके नाम पर करने की उद्घोषणा की गई है।

6. अंत में निवेदन किया की वादी के पक्ष मे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित आराजी न0 4014/1800 रकबा नो बीघा भूमि को मुझ वादी के नाम पर खातेदार काश्तकार के रूप मे घोषित करवा राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे खातेदार काश्तकार के रूप मे इनका नाम अंकित फरमावें ।

7. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रकरण में राजपेरोकार मावली द्वारा वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में निम्नानुसार तनकीयात कायम की गई।

   1. आया वादी ग्राम जैवाणा पटवार हल्का जैवाणा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 4014/1800 पर करीब 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने से अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

      .... जिम्मे वादी

   2. आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा है। वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

      ....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

   3. दादरसी।

8. प्रकरण में साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत गवाह पी.डब्ल्यू 1 शिवचन्द पिता मोहनलाल ब्राहम्ण निवासी जैवाणा [illegible] मावली जिला उदयपुर द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज [illegible] जमाबंदी संवत 2072–75 की खाता संख्या 1 प्रदर्श 1 व 2, मौजा जैवाणा की खसरा गिरदावरी की नकल संवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Singh Punadia
Date: 2026.04.16 16:50:26 IST
Reason: SelfAttested

2053—65, 2067, 2069—81 प्रदर्श 3, लगान रसीदे प्रदर्श 4 से 32, उपतहसीलदार सनवाड द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस प्रदर्श 33 से 61, धारा 80 जा.दी. का नोटिस प्रदर्श 62 एवं पावती रसीद प्रदर्श 63 करवाए गए।

9. अधिवक्ता वादी एवं राजपैरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस वाद पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए वाद वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया की वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार देने का कोई प्रावधान है।

10. हमने उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है।

1. आया वादी ग्राम जैवाणा पटवार हल्का जैवाणा की वादग्रस्त आराजी नम्बर 4014/1800 पर करीब 50 वर्ष से अधिक समय से कब्जा होने से अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

   .... जिम्मे वादी

2. आया प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि पर वादी द्वारा राजकीय भूमि पर अवैध निर्माण कर रखा है। वादी को एडवर्स पजेशन के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है।

   ....जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2

तनकी संख्या 1 को साबित कराने का भार वादी पर है तथा तनकी संख्या 2 को साबित कराने का भार प्रतिवादी पर है। उक्त दोनो तनकियात एक दूसरे से संबंधित होने से इनका निस्तारण एक साथ किया जाना उचित है। वादी द्वारा तनकी संख्या 1 को साबित कराने के लिए दस्तावेजात प्रदर्श 1 लगायत 63 प्रस्तुत किए। ग्राम जेवाणा पटवार हल्का जेवाणा तहसील मावली की नकल जमाबंदी संवत 2072—75 के खाता संख्या 1 पर दर्ज आराजी नम्बर 4014/1800 रकबा 9 भूमि बिलानाम दर्ज रिकॉर्ड है। वादी द्वारा अपने वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि पर 50 वर्ष से अधिक से कब्जा बताकर प्रतिकूल कब्जे के आधार पर ही उक्त भूमि को अपने नाम पर घोषित करवाने के अधिकारी बताया है। कब्जे को साबित कराने हेतु वादी द्वारा लगान रसीदे प्रदर्श 4 से 32, उप तहसीलदार सनवाड द्वारा जारी धारा 91 के नोटिस प्रदर्श 33 से 61 एवं खसरा गिरदावरी प्रदर्श 3 प्रस्तुत किए। परन्तु न्यायालय इस कथन से संतुष्ट नही है क्योंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा देने का कोई प्रावधान नहीं है। **कानून की स्थिति स्पष्ट है**

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sanwal Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:26 IST
Reason: SelfAttested

कि प्रतिकूल/पुराने कब्जे के आधार पर खातेदारी बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कोई प्रावधान नहीं हैं, केवल धारा 63(1)(4) के तहत् खातेदारी अधिकार समाप्त होने के ही प्रावधान हैं। RRT 2011 पेज 721 के वृहत् पीठ के निर्णय अनुसार राजस्व भूमि में लम्बे कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के नवीनतम न्यायिक निर्देश आर.आर.टी. 2017 (2) पेज 1139 द्वारा राजस्थान काश्तकारी कानून के तहत् प्रतिकूल कब्जे से खातेदारी दिये जाने का प्रावधान हीं नहीं होना वर्णित किया हैं। इसी प्रकार माननीय राजस्व मण्डल द्वारा भी अपने निर्णय आर. आर.डी. 14.06.2014 पेज 352 अनुसार इस प्रकार के प्रावधान नहीं माना है। स्पष्टतया माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय तथा राजस्व मण्डल दोनों द्वारा प्रतिकूल कब्जे या दीर्घकालीन कब्जे के आधार पर खातेदारी नहीं दिये जा सकने का स्पष्ट विधिक निर्देश हैं। उपरोक्त विवेचन, दस्तावेजात एवं नजीरों के आधार पर स्पष्ट है कि प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारो की घोषणा नही दी जा सकती है। अतः तनकी संख्या 1 वादी के विरूद्ध साबित की जाती है तथा तनकी संख्या 2 प्रतिवादी के पक्ष में साबित होती है।

न्यायालय का यह भी अभिमत है कि बिलानाम भूमि पर कब्जे के आधार पर घोषणा देने का कोई प्रावधान नही है, इसके लिए पृथक से आवंटन एवं नियमन के नियम बने हुए है। इसलिए वादी को निर्देशित किया जाता है कि वादग्रस्त भूमि पर यदि कब्जा है तो उसके लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नियमन करवाने के लिए स्वतंत्र है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

—: आदेश :—

अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:26 IST
Reason: SelfAttested

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (FT) मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. शिवचन्द पिता स्व० मोहनलालजी जाति ब्राम्हण आयु 70 वर्ष निवासी जेवाणा तहसील मावली जिला उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिए जिला कलक्टर कार्यालय उदयपुर जिला उदयपुर।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 178/18 (वाद) GCMS No. : 2018/00041

यह वाद आज वास्ते अंतिम निर्णय हेतु पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S. के समक्ष प्रस्तुत होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सारहीन होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

यह आज तारीख 27.01.2026 को न्यायालय से मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:50:26 IST
Reason: SelfAttested